रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 561] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार अक्तूबर 30, 2014/कार्तिक 8, 1936
No. 561] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 30, 2014/KARTIKA 8, 1936

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

(राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि **764(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में **लेखा अधिकारी** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (लेखा अधिकारी) भर्ती नियम 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवत्ति होंगे।

2. पदों **की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान-** उपयुक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनके वेतनमान उक्त अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** -वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **प्रारंभिक गठन** - राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आरंभ से, लेखा अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम पहली बार विरचित किए गए हैं और ऐसे अधिकारी भी हैं जो इस पद को धारण किए हुए हैं जिन्हें नियमित अथवा दीर्घकालिक आधार पर सेवाओं में सम्मलित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे अधिकारियों को आमेलित करते समय नके द्वारा निष्पादित नियमित सेवा को गणना में लिया जा सके।

6. **शिथिल करने की शक्ति-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद-नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान**	**चयन पद अथवा अचयन पद**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लेखा अधिकारी	01 (एक)* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; ग्रेड-वेतन 4800 रु. वेतन मान, 9300-34800 रू.	अचयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **<u>टिप्पण 1</u>** : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष जिसमें आवेदन मांगे गए हैं कि प्रथम जुलाई होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
7	8	9
अनिवार्यः एक विषय के रूप में वाणिज्य/लेखांकन सहित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री। __टिप्पण 1-__ शैक्षिक अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । __टिप्पण 2-__ अनुभव संबधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
10	11	12	13
प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलन द्वारा और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।	__प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/आमेलनः__ केंद्रीय/अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त/अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अधीन अधिकारी जो- (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; अथवा (ii) वेतन-बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4600/-रु. सहित उस पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा; अथवा	समूह-क विभागीय पदोन्नति समितिः पुष्टिकरण के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी : (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

	(iii) वेतन -बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4200/- रु. सहित उस पद पर छः वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) (i) केन्द्र सरकार के किसी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित एसएएस अथवा समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण हो; अथवा (ii) सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान से रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा किया हो और रोकड़, लेखा और बजट कार्य का अनुभव हो; अथवा (iii) एक विषय के रूप में वाणिज्य/लेखा सहित किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिग्री । टिप्पणीः केंद्र सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	मंत्रालय के पिछड़ा वर्ग प्रभाग का निदेशक/उप सचिव- अध्यक्ष (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का निदेशक/उप सचिव-सदस्यः और (iii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अवर सचिव-सदस्य	

[सं. 12015/18/2007–बीसीसी]
बी. एल.. मीणा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

(NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2014

G.S.R. No. 764(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Ssection 17 read with sub section (2) of Section 5 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Accounts Officer** in the National Commission for Backward Classes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:

1. **Short title and commencement**. –

(1) These rules may be called the **National Commission for Backward Classes (Accounts Officer) Recruitment Rules, 2014**

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification, etc..** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification**. – No person-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;
shall be eligible for appointment to any of the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial Constitution**. – Since inception of the National Commission for Backward Classes, the recruitment rules to the post of Accounts Officer are framed for the first time and that there are officers already holding the post proposed to be included in the services on a regular or long term basis, so as to count the regular service rendered by such officer at the time of absorption.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any classes or category or persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Pay Band and Grade pay/pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Accounts Officer	01 (One)* (2014) (* subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 2; Grade Pay: Rs.4800; Pay Scale: Rs.9300 - 34800	Non-Selection	Not exceeding thirty five years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age limit shall be 1st July of the calendar year in which the applications are invited.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Essential: A degree of a recognized University/ Institution with Commerce/ Accounts as one of the subject. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these	Not applicable	Two years.

communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them. **Note 2:** The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
By deputation (including short term contract)/ absorption failing which by direct recruitment	Deputation (including short term contract)/ Absorption: Officers under the Central/or State Government/Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/autonomous/ semi government or Statutory organizations/ public sector undertaking: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 years regular service in posts with Pay Band-2 & Grade Pay Rs.4600/-; or (iii) with 6 years regular service in posts with Pay Band-2 & Grade Pay Rs.4200/-; and (b) (i) A pass in the SAS or equivalent examination conducted by any of the Organized Accounts Department of Central Government; or (ii) Successfully completed training in Cash and Accounts work from the Institute of Secretariat Training & Management and experience in Cash, Accounts and Budget Work; or (iii) Possessing a degree of a recognized University/Institution with Commerce/ Accounts as one of the subject.	Group-A Departmental Promotion Committee: DPC composition for considering cases of confirmation would be - (i) Director/Deputy Secretary, Backward Class Division, Ministry of Social Justice & Empowerment - Chairman (ii) Director/Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes - Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes - Member	Consultation with UPSC is not necessary.

	Note: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of Applications.		

[No.12015/18/2007-BCC]

B. L. MEENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि **765(अ).**—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 5 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 17 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार के एतद्द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में **अनुसंधान अन्वेषक** के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करते हुए निम्नोक्त नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (अनुसंधान अन्वेषक) भर्ती नियम 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदो की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान-** उपयुक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनके साथ सहबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि :-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता -**वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **प्रारंभिक गठन.–**राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आरंभ से ही, अनुसंधान अन्वेषक के पद हेतु भर्ती नियम पहली बार तैयार किए गए हैं और यह कि ऐसे अधिकारी भी हैं जो इस पद को धारण किए हुए हैं जिसे नियमित अथवा दीर्घकालिक आधार पर सेवाओं में सम्मलित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे अधिकारियों को आमेलित करते समय अनके द्वारा निष्पादित नियमित सेवा को गिना जा सके।

6. **शिथिल करने की शक्ति.–**जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.–**इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद-नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन /वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
अनुसंधान अन्वेषक	04 (चार)* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्र सरकार सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; ग्रेड-पेः 4200 रू; वेतन मान, 9300 34800 रू.	लागू नहीं होता	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवको के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **<u>टिप्पण 1</u> :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष जिसमें आवेदन मांगे गए हैं कि प्रथम जुलाई होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
अनिवार्यः (1) एंथ्रोपोलॉजी या सोसियोलॉजी या सामजिक कार्य में किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोतर डिग्री। (2) केन्द्रीय/अथवा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/स्वायत/अर्ध-सरकारी/ अथवा सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक आयोजना अथवा सामाजिक कार्य, शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा सामाजिक कल्याण एवम् विकास के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव।	लागू नहीं	सीधी भर्ती 2 वर्ष के लिए

टिप्पण 1–शैक्षिक अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है । **टिप्पण 2**–अनुभव संबधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
10	11	12	13
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं	समूह-ख विभागीय पदोन्नति समिति : पदोन्नति एवं पुष्टि दोनों प्रकार के मामलों पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी : (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछड़ा वर्ग प्रभाग के निदेशक/उपसचिव-अध्यक्ष (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अवर सचिव-सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

[सं. 12015/18/2007–बीसीसी]

बी. एल.. मीणा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2014

G.S.R. No. 765(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-section (2) of Section 17 read with sub-section (2) of Section 5 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Research Officer** in the National Commission for Backward Classes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely :

1. **Short title and commencement**. –

   (1) These rules may be called the **National Commission for Backward Classes (Research Officer) Recruitment Rules, 2014**

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.** – The number of the said posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification, etc..** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification**. – No person-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

   shall be eligible for appointment to any of the said post:

   (c) Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Initial Constitution**. – Since inception of the National Commission for Backward Classes, the recruitment rules to the post of Research Officer are framed for the first time and that there are officers already holding the post proposed to be included in the services on a regular or long term basis, so as to count the regular service rendered by such officer at the time of absorption.

6. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any classes or category or persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Pay Band and Grade pay/pay scale.**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Officer	02 (Two)* (2014) *(subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 3; Grade Pay: Rs.5400; Pay Scale: Rs.15600-39100	Non-Selection	Not exceeding thirty five years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be 1st July of the calendar year in which the applications are invited.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any**
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Master's degree of a recognized University or Institution in Anthropology or Sociology or Social work. (ii) 3 years experience of Social Research or Social Planning or Social work, education and training or in the field of social welfare and development in Central/or State Government/Union Territories/ Universities/Recognised Research Institutions/ autonomous/semi government or Statutory organizations /public sector undertaking. **Desirable:** (i) Doctorate in Social Sciences subject; (ii) 2 years experience of applying statistical methods and research methodology. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Age: No Qualifications: Yes.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which by deputation (including short term contract)/ absorption and failing both by direct recruitment	**<u>Promotion:</u>** Research Investigator with 8 years regular service in the grade in pay band-2 (Rs.9300-34800) with Grade Pay of Rs.4200 after appointment thereto on a regular basis and possessing the essential qualifications as	Group-A Departmental Promotion Committee: DPC composition for considering cases of both promotion and confirmation would be	Consultation with UPSC is necessary for relaxation in qualifications or experience as per Column (7).

	prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. For purposes of appointment on deputation/ absorption basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. <u>Deputation (including short term contract)/ Absorption:</u> Officers under the Central/or State Government/Union Territories/Universities/ Recognized Research Institutions/autonomous/ semi government or Statutory organizations/ public sector undertaking: (a) (i) Holding analogous posts on regular basis; or (ii) with 2 years regular service in posts with Pay Band-2 & Grade Pay Rs.4800/-; or (iii) with 3 years regular service in posts with Pay Band-2 & Grade Pay Rs.4600/-; or (iv) with 8 years regular service in posts with Pay Band-2 & Grade Pay Rs. 4200/-; and (b) Possessing the essential qualifications as prescribed for direct recruits under column (7). **Note:** The departmental Research Investigators in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion **Note:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held	(i) Director/Deputy Secretary, Backward Class Division, Ministry of Social Justice & Empowerment - Chairman (ii) Director/Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes - Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes - Member	

	immediately preceding this appointment in the same or other organization/department of the Central Government shall not ordinarily exceed 3 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of Applications.		

[No. 12015/18/2007-BCC]

B. L. MEENA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्तूबर, 2014

सा.का.नि. **766(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1993 (1993 का 27) की धारा 5 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा 17 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में **अनुसंधान अधिकारी** के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग (अनुसंधान अधिकारी) भर्ती नियम, 2014** है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदो की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान**—उपयुक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा उनके साथ सहबद्ध वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न उक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तंभ 14 स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**—वह व्यक्ति--

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **प्रारंभिक गठन**—राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आरंभ से ही, अनुसंधान अधिकारी के पद हेतु भर्ती नियम पहली बार तैयार किए गए हैं और यह कि ऐसे अधिकारी भी हैं, जो इस पद को धारण किए हुए हैं जिसे नियमित अथवा दीर्घकालिक आधार पर सेवाओं में सम्मलित किए जाने का प्रस्ताव है ताकि ऐसे अधिकारियों को आमेलित करते समय अनके द्वारा निष्पादित नियमित सेवा को गिना जा सके।

6. **शिथिल करने की शक्ति**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद-नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
1	2	3	4	5	6
अनुसंधान अधिकारी	02 (दो)* (2014) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2; ग्रेड वेतन 5400 रू; वेतन मान, 15600-39100 रू.	अचयन	35 वर्ष से अनधिक (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है । **<u>टिप्पण 1</u> :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख उस वर्ष जिसमें आवेदन मांगे गए हैं कि प्रथम जुलाई होगी।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
7	8	9
अनिवार्यः (1) एंथ्रोपोलॉजी या सोसियोलॉजी या सामजिक कार्य में किसी मान्यता विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से स्नातकोतर डिग्री। (2) केन्द्रीय/अथवा राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेशों/विश्वविद्यालयों/ मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/स्वायत/अर्धसरकारी/अथवा सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सामाजिक अनुसंधान अथवा सामाजिक आयोजना अथवा सामाजिक कार्य, शिक्षा, प्रशिक्षण अथवा सामाजिक कल्याण एवम् विकास के क्षेत्र में 3 वर्ष का अनुभव। **वांछनीयः** (1) समाज विज्ञान विषय में डॉक्टरेट (2) सांख्यिकीय पद्धतियों और अनुसंधान कार्यप्रणाली लागू करने संबंधी 2 वर्ष का अनुभव **<u>टिप्पण 1</u>–**शैक्षिक अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।	आयुः नहीं योग्यताएं: हां	2 वर्ष

टिप्पण 2–अनुभव संबधी अर्हताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा**
10	11
पदोन्नति द्वारा, ऐसा न हो पाने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पावधि संविदा शामिल है)/ आमेलन द्वारा और दोनों के न हो पाने पर सीधी भर्ती द्वारा।	पदोन्नतिः अनुसंधान अन्वेषक के रूप में 4200/- रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उसी ग्रेड में 8 वर्षों की नियमित सेवा तथा स्तंभ (7) में सीधी भर्ती के लिए यथा-विहित अनिवार्य योग्यताएं। टिप्पणीः पदोन्नति के लिए न्यूनतम सेवा की गणना करने के प्रयोजनार्थ, 1.1.2006 से पूर्व, अर्थात् छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू होने की तारीख से पहले, किसी अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा को, आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू सदृश ग्रेड वेतन/वेतनमान में निष्पादित सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ, उन मामलों के अलावा जिनमें संशोधन-पूर्व एक से अधिक वेतनमानों को एक कॉमन ग्रेड वेतन/वेतनमान वाले एक ग्रेड में बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड के रूप मिला दिया गया है, 1.1.2006 से पूर्व अर्थात् छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित संशोधित वेतन ढांचा लागू होने की तारीख से पहले, किसी अधिकारी द्वारा की गई नियमित सेवा को आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू सदृश ग्रड-वेतन /वेतनमान में निष्पादित सेवा माना जाएगा। प्रतिनियुक्ति (अल्पावधि संविदा सहित)/आमेलनः केंद्र/अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों/स्वायत्त/ अर्द्ध सरकारी अथवा सांविधिक संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के अंतर्गत अधिकारीः (क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) वेतन -बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4800/- रु. सहित पद पर दो वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iii) वेतन -बैंड-2 और ग्रेड वेतन 4600/- रु. सहित पद पर तीन वर्ष की नियमित सेवा; अथवा (iv) वेतन -बैंड-2 और ग्रेड-वेतन 4200/- रु. सहित पद पर आठ वर्ष की नियमित सेवा; और (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अनिवार्य योग्यताएं रखता हो । **टिप्पण 1--**पोषक प्रवर्ग के ऐसे अनुसंधान अन्वेषक जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

	टिप्पण 2- केंद्रीय सरकार के उसी अथवा किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित संवर्ग बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित, प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतः 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन के प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष है अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा**
12	13
समूह-क विभागीय पदोन्नति समिति : पदोन्नति एवं पुष्टिकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना इस प्रकार होगी : (i) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के पिछड़ा वर्ग प्रभाग के निदेशक/उपसचिव- अध्यक्ष (ii) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अवर सचिव-सदस्य	स्तंभ (7) के अनुसार योग्यताओं अथवा अनुभव में छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

[सं. 12015/18/2007–बीसीसी]

बी. एल. मीणा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 2014

G.S.R. 766(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of Section 17 read with sub-section (2) of Section 5 of the National Commission for Backward Classes Act, 1993 (27 of 1993), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of **Research Investigator** in the National Commission for Backward Classes under the Ministry of Social Justice and Empowerment, namely:

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the **National Commission for Backward Classes (Research Investigator) Recruitment Rules, 2014**

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**–The number of the said posts, their classification, pay band and pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule annexed to these rules.

3. **Method of Recruitment, age limit, qualification, etc.**–The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. **Disqualification**.–No person-
   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
   (b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;
   shall be eligible for appointment to any of the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

4. **Initial Constitution**. – Since inception of the National Commission for Backward Classes, the recruitment rules to the post of Research Officer are framed for the first time and that there are officers already holding the post

proposed to be included in the services on a regular or long term basis, so as to count the regular service rendered by such officer at the time of absorption.

5. **Power to relax.** – Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Commission relax any of the provisions of these rules with respect to any classes or category or persons.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of post**	**Classification**	**Pay Band and Grade pay/pay scale**	**Whether selection post or non-selection post.**	**Age limit for direct recruits.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Research Investigator	04 (Four)* (2014) (* subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Group 'B', Non Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band – 2; Grade Pay: Rs.4200; Pay Scale: Rs.9300 - 34800	Not Applicable	Not exceeding thirty years (relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be 1st July of the calendar year in which the applications are invited.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of Probation, if any.**
(7)	(8)	(9)
Essential: (i) Master's degree of a recognized University or Institution in Anthropology or Sociology or Social work. (ii) 2 years experience of Social Research or Social Planning or Social work, education and training or in the field of social welfare and development in Central/ or State Government/Union Territories/Universities/ Recognised Research Institutions/ autonomous/semi government or Statutory organizations/public sector undertaking. **Note 1**: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2**: The qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion	Not applicable	Two years for direct recruits.

that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.		

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruitment	Not applicable	Group-B Departmental Promotion Committee: DPC composition for considering cases of confirmation would be - (i) Director/Deputy Secretary, Backward Class Division, Ministry of Social Justice & Empowerment —Chairman (ii) Director/Deputy Secretary, National Commission for Backward Classes — Member; and (iii) Under Secretary, National Commission for Backward Classes — Member	Consultation with UPSC is not necessary.

[No. 12015/18/2007-BCC]

B. L. MEENA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054